मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 2012 (फाल्गुन 30, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 90 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 94 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल शहर के एम.पी. नगर स्थित पार्किंग की जमीन पर दुकाने संचालित होने,
(2) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम बडगांव में पुलिस चौकी न होने,
(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की रीवा जिले के स्कूल प्राचार्य द्वारा छात्रों से रूपये वसूले जाने,
(4) श्री ब्रजराज सिंह चौहान, सदस्य की श्योपुर जिले में टी.वी. चैनल संचालक द्वारा विद्वेषपूर्ण समाचार दिखाये जाने,
(5) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में गौ हत्या रोकने का प्रयास न किये जाने,
(6) श्री मूल सिंह, सदस्य की प्रदेश में स्मैक ब्राउन शुगर का कारोबार होने,
(7) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की सत्र के दौरान विभिन्न जिलों से आये पुलिस कर्मियों की व्यवस्था न होने,
(8) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में स्थित रेल्वे समपार क्रमांक 192 को बंद किये जाने तथा
(9) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य की ओरछा क्षेत्र में सूचना पटलों से अवैध प्रचार सामग्री न हटाये जाने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

3. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्र में पाले से फसल की हुई क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा ध्यानाकर्षण पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. कल्पना परूलेकर, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, आरिफ अकील, रामनिवास रावत एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने भोपाल के डी.बी.मॉल में जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री तथा डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिये।

(3) श्री लखन घनघोरिया एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्यगण ने जबलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संक्रमित खून चढ़ाने से तीन बच्चों की मौत होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य ने ग्वालियर के कोतवाली क्षेत्र में दहेज की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री अन्तर सिंह आर्य, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सत्रहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मोती कश्यप (जिला-कटनी)
(2) श्री कमलेश जाटव (जिला-मुरैना)
(3) श्री सुनील जायसवाल (जिला-नरसिंहपुर)
(4) डॉ. निशिथ पटेल (जिला-कटनी)
(5) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)

6. स्वागत-उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री रामजीवन शास्त्री, कबीरपंथी दर्शनाचार्य सन्त का अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन की ओर से स्वागत उल्लेख किया गया।

7. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 14, 15, 16 एवं 19 मार्च, 2012 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(10) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 12	ऊर्जा के लिए पांच हजार नौ सौ चौबीस करोड़, अठारह लाख, सात हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 25	खनिज साधन के लिए पच्चीस करोड़, चौवन लाख, चौदह हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री रमेश प्रसाद खटीक
(5) श्री पारस सकलेचा
(6) श्री अरूणोदय चौबे
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) श्री बृजमोहन धूत
(9) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(10) श्री राधेलाल बघेल

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(11) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए छह सौ अठारह करोड़, नवासी लाख, पचासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए चौबीस करोड़, अठारह लाख रूपये,
अनुदान संख्या – 56	ग्रामोद्योग के लिए एक सौ नौ करोड़, इकतालीस लाख, इकहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए तेईस करोड़, सत्तर लाख, अड़सठ हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 71	जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) के लिए चार करोड़, पचहत्तर लाख रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी
(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(3) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(4) श्री रामलखन सिंह
(5) श्री देवेन्द्र वर्मा
(6) श्री पारस सकलेचा
(7) श्री ओमप्रकाश सकलेचा

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(12) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए चार सौ नवासी करोड़, चवालीस लाख, तिरपन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए चौहत्तर करोड़, निन्यानवे लाख, छियानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ ग्यारह करोड़, आठ लाख, छब्बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए बत्तीस करोड़, पन्द्रह लाख, बत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए चार हजार एक सौ तेरह करोड़, छत्तीस लाख, अट्ठाइस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 78	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक सौ सात करोड़ रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुरेश चौधरी
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री मनीराम धाकड़
(5) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(6) श्री शान्तिलाल धबाई
(7) श्री लखन घनघोरिया
(8) कुंवर विक्रम सिंह

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(13) श्री तुकोजीराव पवार, खेल और युवक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 37	पर्यटन के लिए एक सौ सत्रह करोड़, बहत्तर लाख, छत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 43	खेल और युवक कल्याण के लिए पैंसठ करोड़, इकतीस लाख, सात हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

श्री तुकोजीराव पवार, खेल और युवक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(14) श्री जगदीश देवड़ा, जेल एवं परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 5	जेल के लिए एक सौ इकहत्तर करोड़, इकहत्तर लाख, चौंतीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 36	परिवहन के लिए अड़सठ करोड़, आठ लाख, सत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री सुनील जायसवाल
(2) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री पारस सकलेचा

श्री जगदीश देवड़ा, जेल एवं परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 7.46 विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012 (चैत्र 1, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 2012